

15¹⁷/₂₀₂₁

2021
208

पञ्जाबी प्रशासन गांवो के एगो अधिनियम 2021
 के तहत गांव सेमालिया पर अधिनियम
 शिष्टि से निष्काशन हेतु जारी गइ। हमने
 पञ्जाबी का अधिनियम क्रमांक (5)
 आस जसके उता प. 5 सेमालिया (निम्न)
 अधिनियम संख्या 5 संका 0.4150 हे एवं
 आराजी संख्या 350/4, 351/4 कीता 2
 संका 0.4650 हे मुक्ति की पत्रवागरी
 फाला चाहत है। ~~हमने~~ पञ्जाबी में पञ्जाबी
 नम्बर जमावरी संख्या 2070-2073 अनुसार
 उक्त आराजीपत्र जारी के नाम पर संकेतारी
 एक से एक रेकर्ड है। अतः पञ्जाबी का
 प्राप्ति पर स्वीकार किया जाकर गांव
 जाकरपुरा प. 5 सेमालिया (निम्न आराजी
 नम्बर 5 संका 0.4150 हे एवं आराजी नम्बर
 350/4, 351/4 कीता 2 संका 0.4650 हे की
 बिना किसी के कसबे से दखलनाजी किए
 सेटलमेंट नम्बर अनुसार पत्रवागरी किए
 जाके के कोरेश्य दिर जाते हो कमिशन शुल्क
 700000 रुबर अश्वे एत जो ल्यर जारी
 रहत होगा। पालनार्थ तदधीनस्थ चित्तौडगढ़
 को लिखत जवे कि पञ्जाबी का लिखित
 मुचन देकर निम्नानुसार पत्रवागरी की
 जावे एवं पालन लिखित आराजीपत्र से प्रस्तुत
 को। पञ्जाबी कोरेश्य शुल्क होकर नम्बर से
 कम हो।

(श्याम सुन्दर विश्वासे)
 सहायक कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 चित्तौडगढ़ (राज.)

